31

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

सत्रहवीं लोक सभा

[विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी पच्चीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

इकतीसवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, *2022/* अग्रहायण, *1944 (शक)*

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)
(सत्रहवीं लोक सभा)

विद्युत मंत्रालय

[विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में
अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई]

20 दिसम्बर, 2022 को लोक सभा को प्रस्तुत किया गया

20 दिसम्बर, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसंबर, 2022 / अग्रहायण,1944 (शक)

सीओई सं. 360

मूल्यः रुपये.....

© 2022 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (सोलहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और द्वारा मुद्रित

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2022-23) की संरचना		
प्राक्कथन		
अध्याय एक	प्रतिवेदन	
अध्याय दो	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है	
अध्याय तीन	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है	
अध्याय चार	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है	
अध्याय पाँच	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं	
परिशिष्ट		
एक	समिति की 15 दिसंबर, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश	
दो	ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।	

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (20 22-23) की संरचना

सदस्य

लोक सभा

श्री जगदम्बिका पाल - सभापति

2. श्री गुरजीत सिंह औजला
3. श्री बेल्लाना चंद्रशेखर
4. श्री प्रदीप कुमार चौधरी*
5. डॉ. ए. चैल्ला कुमार
6. श्री हरीश द्विवेदी
7. श्री एस. ज्ञानतिरावियम
8. श्री संजय हरिभाऊ जाधव
9. श्री किशन कपूर
10. श्री सुनील कुमार मंडल
11. श्री अशोक महादेवराव नेते
12. श्री प्रवीन कुमार निषाद
13. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल
14. श्री जय प्रकाश
15. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
16. श्री उत्तम कुमार रेड्डी
17. श्री देवेन्द्र सिंह भोले
18. श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या)
19. श्री एस.सी. उदासी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री पी. वेलुसामी

राज्य सभा

22. श्री राजेन्द्र गहलोत
23. श्री नारायण दास गुप्ता
24. श्री जावेद अली खान
25. श्री मुजीबुल्ला खान
26. श्री महाराजा संजाओबा लेशंबा
27. श्री कृष्ण लाल पंवार
28. श्री के .एन .आर .राजेश कुमार
29. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी
30. श्री के.टी.एस. तुलसी
31. रिक्त

<u>सचिवालय</u>

1.	डॉ. राम राज राय	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री आर.के. सूर्यनारायणन	-	निदेशक
2.	श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा	-	अपर निदेशक
3.	श्री मनीष कुमार	-	समिति अधिकारी

---

* दिनांक 04.11.2022 से समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए ।

प्राक्कथन

मैं, ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के संबंध में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में यह 31वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

2. 25वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और उसी दिन राज्य सभा के पटल पर भी रखा गया था। इस प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी सिफारिशों के संबंध में सरकार के उत्तर 30 अगस्त, 2022 को प्राप्त हो गये थे।

3. समिति ने 15 दिसंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

4. समिति के 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट–दो में दिया गया है ।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियां और सिफारिशें प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित की गई हैं ।

नई दिल्ली;
दिसंबर, 2022
अग्रहायण, 1944 (शक)

जगदम्बिका पाल
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

अध्याय –एक

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का यह प्रतिवेदन विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी पच्चीसवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में है ।

2. पच्चीसवां प्रतिवेदन 22 मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में 14 टिप्पणियां/सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं।

3. पच्चीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई-कार्रवाई उत्तर 30 अगस्त, 2022 को प्राप्त हो गए हैं। ये निम्नवत् वर्गीकृत हैं:

(i) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है::

क्रम सं. 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13 और 14
कुल - 14

अध्याय-II

(ii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है:

- शून्य - कुल-00

अध्याय-III

(iii) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है:

- शून्य - कुल-00

अध्याय-IV

(iv) टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए है:

- शून्य -

कुल
– 00
अध्याय–V

4. समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि इस प्रतिवेदन के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई कार्रवाई का विवरण इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर समिति को भेज दिया जाए ।

5. अब समिति सरकार द्वारा उनकी कतिपय टिप्पणियों/सिफारिशों जिन्हें दोहराए जाने या जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है, पर की-गई-कार्रवाई पर विचार करेगी ।

(सिफारिश क्रम सं.3)

<u>दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)</u>

6. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की:

"समिति यह जानती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए अंतिम वर्ष है, इसलिए वर्ष 2022-23 के लिए योजना के अंतर्गत कोई धन आबंटित नहीं किया गया है। समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2021-22 के लिए 3,600 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन की तुलना में 31.01.2022 तक केवल 2,321.71 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। समिति ने यह भी नोट किया है कि डीडीयूजीजेवाई योजना के 'ग्रामीण विद्युतीकरण' घटक के तहत देश भर के सभी बसे हुए जनगणना गांवों का विद्युतीकरण 28.04.2018 तक कर लिया गया है। समिति ने यह भी नोट किया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा डीडीयूजीजेवाई के वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित दो अन्य घटक हैं अर्थात् कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण और ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन। समिति ने देखा है कि देश में इस योजना के तहत समग्र प्रगति 99% है। समिति डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत समयबद्ध तरीके से किए गए व्यापक कार्य की सराहना करती है। उनका मानना है कि इस योजना के तहत किए गए कार्यों से न केवल एक बड़ी आबादी के आर्थिक और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश में बिजली की मांग और प्रति व्यक्ति खपत में भी वृद्धि होगी। यद्यपि राज्यों ने बताया है कि सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और सभी घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं, समिति चाहती है कि मंत्रालय इस योजना की

नोडल एजेंसी के माध्यम से एक लेखापरीक्षा कर यह सुनिश्चित करे कि सभी गांवों/बस्तियों के सभी इच्छुक परिवारों को बिजली कनेक्शन मिल गया है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि चालू वित्त वर्ष में ही डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत शेष कार्य को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएं।"

7. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"भारत सरकार देश में घरेलू सार्वभौमिक विद्युतीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए, घरों के विद्युतीकरण की परिपूर्णता के लिए सौभाग्य स्कीम कार्यान्वित की गई थी। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर नोडल एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकारों/डिस्कॉमों/पीआईए को निधियां जारी की गईं । सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, सभी राज्यों ने 2.62 करोड़ घरों (एचएच) का विद्युतीकरण करने के पश्चात दिनांक 31.03.2019 तक घरों का विद्युतीकरण पूरा करने की पुष्टि की थी। तत्पश्चात, राज्यों के अनुरोध के आधार पर, भारत सरकार ने अन्य ~19 लाख घरों, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में विद्युतीकरण की इच्छा व्यक्त की, के विद्युतीकरण के लिए वित्त पोषण की अनुमति प्रदान की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 2.81 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। राज्यों द्वारा पुनः अनुरोध के आधार पर, इन कार्यों को दिनांक 15.03.2022 तक पूरा करने की शर्त के साथ, वर्ष 2021-22 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 11.84 लाख घरों के एक और समूह के विद्युतीकरण के लिए वित्त पोषण की संस्वीकृति दी गई थी। सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, कुल मिलाकर 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि भारत सरकार देश के सभी घरों को विद्युतीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकारों ने भी इस स्कीम के अंतर्गत सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण कवरेज का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह ज्ञात होता है कि उक्त स्कीमों के अन्तर्गत वर्तमान में कोई भी इच्छुक परिवार गैर-विद्युतीकृत नहीं छोड़ा गया है। भारत सरकार ने समयबद्ध तरीके से इस उद्देश्य को व्यापक रूप से प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य किया है। नए घरों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और उनका विद्युतीकरण करना संबंधित राज्यों और उनकी यूटीलिटियों की जिम्मेदारी है। इसलिए, किसी भी समय, कुछ घर या अन्य कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया में होंगे, जो किसी भी सर्वेक्षण में परिलक्षित होगें। विद्युत मंत्रालय ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है और दिनांक 31.03.2022 से प्रभावी डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य स्कीमों को बंद करने के आलोक में, सभी राज्यों को सूचित किया है कि सरकार सौभाग्य से पहले चिन्हित किए गए सभी इच्छुक घरों को विद्युतीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए वे अपना पक्ष रख सकते हैं और वे आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए इस मंत्रालय को डीपीआर

प्रस्तुत कर सकते हैं। इस उपाय ने न केवल इच्छुक परिवार, जो पहले अनिच्छुक थे, लेकिन अब विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के इच्छुक हैं, के मुद्दे को सुलझाया गया है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि राज्य और उनकी यूटीलिटियाँ निरंतर कनेक्शन प्रदान करने की ज़िम्मेदारी उठाती हैं।"

8. समिति ने यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि देश के किसी भी गांव/बस्ती का कोई इच्छुक परिवार विद्युत रहित न रहे, मंत्रालय से इस संबंध में लेखा परीक्षा करने की सिफारिश की थी। समिति यह जानकर प्रसन्न है कि विद्युत मंत्रालय ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है और बताया है कि वे सौभाग्य योजना से पूर्व चिह्नित सभी इच्छुक परिवारों को विद्युत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने राज्यों को यह भी सूचित किया है कि वे संशोधित सुधार-आधारित और परिणाम-संबद्ध वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए मंत्रालय को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करें। अतः समिति का यह मानना है कि विद्युत मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सक्रिय उपाय करेगा ताकि सौभाग्य योजना से पूर्व चिह्नित सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण/कवरेज से संबंधित उपर्युक्त कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

<u>एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)</u>

(**सिफारिश क्रम सं. 4**)

9. समिति ने अपने प्रतिवेदन में निम्नवत् टिप्पणी/सिफारिश की:

"समिति ने नोट किया है कि एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की शुरुआत डिस्कॉम/विद्युत विभागों के संसाधनों के पूरक के रूप में शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण नेटवर्क और मीटरिंग में अंतराल को दूर करने के लिए पूंजीगत व्यय में से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2014 में की गई थी। समिति ने यह भी पाया है कि इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक देश में एटीएंडसी हानि को 15% तक कम करना है। समिति को यह भी ज्ञात है कि सरकार ने वर्ष 2000-01 की शुरुआत में इसी उद्देश्य के साथ त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) प्रारम्भ किया था। इस योजना को 2008 में पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के रूप में संशोधित किया गया था। समिति ने यह भी नोट किया कि एटीएंडसी घाटे का स्तर जो वर्ष 2015-16 में 23.7% था, 2019-20 में घटकर 20.93% हो गया। हालांकि, यह अभी भी 15% के लक्षित स्तर से अधिक है। विकसित देशों में एटीएंडसी हानियों के निम्न स्तर को ध्यान में रखते समिति का विचार है कि 15% का लक्ष्य भी बहुत कम है। तथ्य यह है कि देश भर में एटीएंडसी घाटे का मौद्रिक मूल्य 1,22,000 करोड़ रुपये है जो समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। समिति की जांच से पता चला है कि देश के पांच राज्यों में एटीएंडसी हानि 40% से 60% तक है। हालांकि 2015-16 के बाद से कुल

हानि में कमी आई है। आईपीडीएस की वास्तविक प्रगति के संबंध में समिति ने नोट किया है कि स्वीकृत 547 सर्किलों में से, 544 सर्किलों में सिस्टम सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। समिति को पता चला है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्युत वितरण राज्य का विषय है, एटीएण्डसी हानि के स्तर को कम करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चूंकि 2021-22 आईपीडीएस के लिए अंतिम वर्ष है, इसलिए समिति का विचार है कि वितरण प्रणाली पर इस योजना के समग्र प्रभाव का आकलन करने और इस बात के कारणों का पता लगाने के लिए कि केंद्र सरकार के प्रयासों ने एटीएंडसी घाटे को कम करने में वांछित परिणाम क्यों नहीं दिए हैं, एक निष्पक्ष और पारदर्शी अध्ययन की आवश्यकता है ताकि भविष्य में पुन:प्रयास किए जा सकें। इसके अलावा, अधिकांश सर्किलों में, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली अब स्थापित की जा चुकी है, तो समस्याग्रस्त क्षेत्रों को इंगित करना अब आसान होगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को आंकड़ों/प्रणाली विश्लेषण करना चाहिए और इस तरह के अभ्यास की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करना चाहिए।"

10. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई उत्तर में निम्नवत् बताया:

"वित्त वर्ष 2021-22 आईपीडीएस के लिए समापन वर्ष था। तदनुसार, राज्य डिस्कॉमों द्वारा मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, आईपीडीएस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के पूर्ण होने की घोषणा की गई है। आईपीडीएस दिशा-निर्देशों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) (नोडल एजेंसी) यूटिलिटी, ग्राहक और समाज के परिप्रेक्ष्य से आईपीडीएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसियों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया में हैं। मूल्यांकन मापदंडो में व्यापक रूप से एटीएंडसी हानि, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता, उपभोक्ता सुविधा, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आदि से संबंधित प्रणाली और आंकड़ों का विश्लेषण शामिल होगा। आईपीडीएस के अंतर्गत शामिल की गई आर-एपीडीआरपी घटक के लिए वर्ष 2016-17 और वर्ष 2018-19 में दो प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य, वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को 12-15प्रतिशत के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक लाना है। आरडीएसएस के अंतर्गत हानि में कमी और आधुनिकीकरण कार्यों के अंतर्गत वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए, किसी भी पात्र डिस्कॉम को अपनी वितरण प्रणाली को मजबूत करने और विभिन्न सुधार उपायों के माध्यम से अपने निष्पादन में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार करना अपेक्षित है, जिसके परिणामस्वरूप प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार हो। आरडीएसएस में सहमत कार्य योजना के अनुसार, सुधार करने के लिए डिस्कॉमों को सशर्त वित्तीय सहायता के

अद्वितीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम से निधि प्रवाह हानि में कमी और अन्य ट्रजेक्टरियों का अनुपालन करने के अधीन होगा।"

11. वितरण प्रणाली पर एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के समग्र प्रभाव का आकलन करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी अध्ययन की आवश्यकता के लिए समिति की सिफारिश के प्रत्युत्तर में मंत्रालय ने कहा है कि विद्युत मंत्रालय और विद्युत वित्त निगम (नोडल एजेंसी) यूटिलिटियों, ग्राहक और समाज के परिपे्रक्ष्य से आईपीडीएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसियों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया में हैं। समिति चाहती है कि उक्त मूल्यांकन में योजना के सभी पहलुओं की गंभीर जांच की जानी चाहिए ताकि इष्टतम परिणाम में आने वाली बाधाओं का पता लगाया जा सके। इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि समिति को उक्त प्रक्रिया के परिणामों से अवगत कराया जाएगा।

<u>सुधार आधारित एवं परिणाम-संबद्ध संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 5)

12. समिति ने अपनी प्रतिवेदन में टिप्पणियां/सिफारिशे निम्न प्रकार से की है:

"समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) नामक एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करना और वितरण क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। समिति ने यह भी नोट किया है कि इस योजना का उद्देश्य वित्तीय और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वहनीयता में सुधार करना, 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर 12-15प्रतिशत की एटीएंडसी हानि में कमी करना और 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है। समिति यह भी नोट करती है कि इन उद्देश्यों को आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता के माध्यम से पूरा कि जाने का प्रस्ताव है। समिति ने यह भी नोट किया कि इस योजना के लिए कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है, जिसमें 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सम्मिलित है। योजना की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल है। केवल स्मार्ट मीटरिंग घटक का हिस्सा 1,50,000 करोड़ रुपये है। वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के लिए 7,565.59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। समिति ने यह देखा है कि नई योजना के लिए आबंटित राशि दो योजनाओं अर्थात् डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के 2021-22 के लिए 8,900 करोड़ रुपये के कुल बजटीय आबंटन से कम है, जिसे इसमें समाहित किया जाएगा। समिति ने यह भी नोट किया कि

व्यय वित्त समिति की योजना के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, इस योजना हेतु 10,000 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन होना था। समिति इस बेहद जरूरी पहल की सराहना करती है और मानती है कि यह वितरण क्षेत्र को आर्थिक रूप से संधारणीय बनाने के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है। तथापि, समिति इस महत्वपूर्ण योजना के लिए निधियों के कम आबंटन पर भी अपनी चिंता व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस योजना के लिए बजटीय आबंटन को संशोधित अनुमान चरण पर और अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए।"

13. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई के उत्तर में बताया:

"विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को 12-15 प्रतिशत के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक लाना है। स्कीम की अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष है। वित्त वर्ष 2021-22 में, विद्युत मंत्रालय ने आरडीएसएस के अंतर्गत लाभार्थी यूटिलिटियों को आगे निधियाँ जारी करने के लिए आरईसी को 277.03 करोड़ रुपए और पीएफसी को 536.975 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आरईसी और पीएफसी दोनों आरडीएसएस स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में हुई चर्चा के आधार पर, वित्त मंत्रालय ने आरडीएसएस स्कीम के लिए 7,565.59 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में, विद्युत मंत्रालय ने लाभार्थी यूटिलिटियों को आगे निधियाँ जारी करने के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत 948.74 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विद्युत मंत्रालय स्कीम की प्रगति और आवंटित निधियों के उपयोग की गहन निगरानी कर रहा है। अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही तक वास्तविक उपयोग के आधार पर, यदि आवश्यक समझा जाए, तो बजट पूर्व बैठकों/चर्चा, जो आम तौर पर प्रत्येक वर्ष अक्टूबर/नवंबर माह में आयोजित की जाती है, में वित्त मंत्रालय के समक्ष रखी जाएगी।"

14. नई शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति ने इसके लिए बजटीय प्रावधानों को बढ़ाने की सिफारिश की थी। समिति को बताया गया है कि यदि जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त निधि प्रदान की जाएगी, लेकिन समिति देखकर चिंतित हैं कि वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित 7,565.59 **करोड़ रुपये में से केवल** 948.74 **करोड़ रुपये पहली तिमाही में जारी किया जा सका है। समिति महसुस करती है कि वर्तमान में इसकी गति को देखते हुए आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग की भी कम उम्मीद है। इसलिए समिति मंत्रालय से अपेक्षा करती है कि वह इस योजना के कार्यान्वयन की गति में वृद्धि करे ताकि न केवल**

आबंटित निधियों का पूरा उपयोग किया जा सके बल्कि अतिरिक्त निधियों की मांग को भी समय के भीतर उचित औचित्य के साथ भेजा जा सके।

<u>राज्य नामित एजेंसियां (एसडीए)</u>

(सिफारिश क्रम सं. 8)

15. समिति ने अपने मूल प्रतिवेदन में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की है:

> "समिति नोट करती है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम राज्य सरकार को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से अपनी संबंधित राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) के माध्यम से ऊर्जा के कुशल उपयोग को सुविधाजनक बनाने और लागू करने का अधिकार देता है। समिति ने यह भी नोट किया है कि 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में एक एसडीए नामित किया है। ये एजेंसियां राज्य-दर-राज्य में भिन्न होती हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी 44 प्रतिशत, विद्युत विभाग में 22प्रतिशत, विद्युत निरीक्षक में 17 प्रतिशत, वितरण कंपनियां 17 प्रतिशत और स्टैंड-अलोन एसडीए 6 प्रतिशत हैं। केवल दो राज्यों केरल और आन्ध्र प्रदेश ने स्टैंड-अलोन एसडीए स्थापित किए हैं।
>
> समिति का मानना है कि ऊर्जा दक्षता उपायों को कार्यान्वित करने और अतएव, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को करने में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। समिति ने यह भी देखा है कि अतिरिक्त जिम्मेदारियों वाले एसडीए आमतौर पर राज्य में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए समर्पित भौतिक और राजकोषीय संसाधनों से वंचित हैं। इससे राज्यों के भीतर ऊर्जा संरक्षण पहलों की गति और दिशा में कमी आती है। समिति ने पाया कि जिन राज्यों में स्टैंड-अलोन एसडीए मौजूद हैं, वे ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अधिक आक्रामक रूप से कार्य कर रहे हैं और उन राज्यों की तुलना में अधिदेशित कार्यों को करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं, जहां ऐसी नामित एजेंसियां उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, समिति यह भी मानती है कि सभी विनियामक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी प्रवर्तन तंत्र अनिवार्य है। स्टैंड-अलोन एसडीए के सृजन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी संरचना/मशीनरी के सुचारू और प्रभावी संस्थानीकरण में भी सुविधा होगी। अतः समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह शेष राज्यों को स्टैंड-अलोन एसडीए बनाने के लिए तैयार करे। समिति यह भी अपेक्षा करती है कि मंत्रालय इस संबंध में उन्हें हर संभव सहायता/सहायता प्रदान करेगा।"

16. मंत्रालय ने अपनी की-गई-कार्रवाई के उत्तर में बताया:

> "इससे पहले, बीईई ने स्टैंडअलोन एसडीए की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से लिखित अनुरोध सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर इस मामले को उठाया है। माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 9

फरवरी, 2022 को हुई समीक्षा बैठक में, इस मामले को फिर से उठाया गया और माननीय मंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों से फिर से आग्रह किया कि अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बीईई जैसा संगठन स्थापित करें। इसके अलावा, निर्देशों के अनुसार, इस मामले को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और केरल को छोड़कर) के साथ उठाया जाएगा, जिसमें उसे अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टैंडअलोन एसडीए स्थापित करने का अनुरोध किया जाएगा।."

17. मंत्रालय के उत्तर से समिति ने पाया कि है कि उन्होंने समिति की सिफारिशों के प्रत्युत्तर में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राजी कर राज्य नामित एजेंसियां (एसडीए) स्थापित करने के लिए कोई नई पहल नहीं की है। समिति ने स्टैंडअलोन एसडीए के महत्व और लाभों पर पुनः जोर देते हुए यह इच्छा व्यक्त की है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा किए गए प्रेरक प्रयासों की विफलता और नियमित बैठकों के दौरान किए गए अनुरोध को देखते हुए मंत्रालय को इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को राजी करने के लिए नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। वह यह भी अपेक्षा करती है कि मंत्रालय तीन महीने के भीतर अंतिम की-गई-कार्रवाई पर उत्तर प्रस्तुत करते समय उन प्रयासों और उनके परिणामों का ब्यौरा प्रदान करेगा।

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)

(सिफारिश क्रम सं. 10)

18. समिति अपनी मूल प्रतिवेदन में टिप्पणियां/सिफारिशे निम्न प्रकार से की है:

"समिति ने पाया कि एनपीटीआई, जो कि देश में विद्युत क्षेत्र की प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है, की निधियों को उपयोग करने के संबंध में पिछली उपलब्धियाँ खराब रही हैं। वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 (15.02.2022 तक) के लिए एनपीटीआई द्वारा निधियों का वास्तविक उपयोग बजटीय अनुमान का क्रमशः 41.8प्रतिशत, 22.4प्रतिशत और 12प्रतिशत रहा है। निधियों के कम उपयोग के कारणों के संबंध में मंत्रालय ने कहा है कि एनपीटीआई की कैपेक्स आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं हैं। उन्होंने कई नए केंद्र बनाए हैं, लेकिन उनकी राजस्व आय कुछ तो कोविड के कारण और कुछ एआईसीटीई की मान्यता के बिना उसके द्वारा चलाए जा रहे उपाधि-पाठ्यक्रमों को बंद करने के दीर्घकालिक पहलू के कारण कम हुई है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की मांग में कमी आई है क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के प्रशिक्षण संस्थान खोल लिए हैं। इसी तरह, पोसोको भार(लोड) प्रेषण केंद्रों का प्रशिक्षण भी आयोजित करेगा। समिति ने यह भी नोट किया है कि वर्ष 2022-23 के लिए केवल 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो एनपीटीआई के लिए पिछले वर्ष के 70 करोड़ रुपये के बीई की तुलना में 29% कम है।

समिति ने पाया कि विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और स्मार्ट वितरण सेक्टर के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी है। समिति यह भी नोट करती है कि राष्ट्रीय विद्युत योजना (2017-22) के अनुसार 2017-22 में 1,76,140 मेगावाट की क्षमता वृद्धि के लिए, 2,53,760 से अधिक अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता होगी, जिनमें से 1,94,910 तकनीकी और 58,580 गैर तकनीकी होंगे। समिति का मानना है कि आगामी राष्ट्रीय विद्युत योजना (2022-27) के तहत किए गए नवीनतम आकलन में यह संख्या बहुत अधिक होगी। समिति ने पाया कि हाल के वर्षों में देश में प्रशिक्षण संस्थानों में कई गुना वृद्धि हुई है। फिर भी समिति का मानना है कि एनपीटीआई के विस्तार के लिए अभी भी बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि इसके पास अपने क्षेत्र में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। तथापि, समिति यह महसूस करती है कि वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने के लिए एनपीटीआई को स्वयं को पुनर्जीवित करना होगा और देश के विद्युत क्षेत्र, जो प्रौद्योगिकी एकीकरण और ऊर्जा संक्रमण पथ के साथ गतिशील रूप से बदल रहा है, की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रशिक्षण अवसंरचना को बढ़ाना होगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि एनपीटीआई को तेजी से बदलती आवश्यकताओं को जानने के लिए विद्युत उद्योग से नियमित रूप से फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। चूंकि एनपीटीआई इस क्षेत्र का एक प्रमुख संस्थान है, इसलिए समिति यह महसूस करती है कि एनपीटीआई को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों के निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और संगठनों के साथ भी समन्वय करना चाहिए। समिति यह भी आशा करती है कि एनपीटीआई द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो आरई चरण में अधिक धन की मांग की जाए।"

19. मंत्रालय ने की गई कार्रवाई के अपने उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"एनपीटीआई मुख्य रूप से वितरण और पारेषण क्षेत्र के अलावा ताप और जलविद्युत क्षेत्र की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने में कार्यरत है। अब विद्युत क्षेत्र का ध्यान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा/ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के क्षेत्र पर है। हाल के वर्षों में प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या भी कई गुना बढ़ी है। एनपीटीआई को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कई प्रशिक्षण संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप नए प्रशिक्षुओं को प्राप्त करने में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण संस्थानों में वास्तविक/ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना भी मुश्किल हो गया है। परिणामस्वरूप, पारंपरिक क्षेत्र में प्रशिक्षण की मांग में कमी आई है।

तथापि, एनपीटीआई के प्रत्येक संस्थान में एक सलाहकार निकाय का गठन किया गया है जिसमें संग्रहण क्षेत्र के हितधारक शामिल हैं और प्रत्येक संस्थान सलाहकार निकाय के परामर्श से अपना प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कर रहा है।

स्मार्ट ग्रिड और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में डिस्कॉमों के कर्मचारियों को बहुत अधिक कौशल निर्माण की आवश्यकता है। एनपीटीआई अब वितरण युटीलिटियों के क्षमता निर्माण पर ध्यान

केंद्रित कर रहा है। विद्युत मंत्रालय, संशोधित वितरण क्षेत्र योजना द्वारा एनपीटीआई प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का वित्तपोषण कर रहा है। दो अन्य क्षेत्र हैं जिनमें एनपीटीआई द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण स्कीमों के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) एनपीटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को प्रायोजित करता है। इसी तरह, पोसोको एनपीटीआई के माध्यम से लोड डिस्पैच केंद्रों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को प्रायोजित करता है।

एनपीटीआई को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं प्रमाणन और लोड डिस्पैच कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन के लिए भी अधिदेशित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि विद्युत मंत्रालय के तहत सभी सीपीएसईयों में नई भर्ती के लिए एनपीटीआई में एक अनिवार्य आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एनपीटीआई अपने प्रमुख एमबीए (पावर मैनेजमेंट) कार्यक्रम को भी शुरू करने की योजना बना रहा है।

एनपीटीआई की कैपेक्स आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं हैं। एनपीटीआई ने कई नए केंद्र बनाए हैं, लेकिन उनके राजस्व अर्जन में कमी आई है। विद्युत मंत्रालय अगले 2 वर्षों के भीतर अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पेंशन निधि को सममूल्य पर लाने के लिए अतिरिक्त राशि देने से संबन्धित एनपीटीआई के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भावी पेंशन देयताएँ प्रबंधनीय हैं और सरकार को प्रतिवर्ष बड़ी राशि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। समग्र बजट के भीतर व्यय के प्रबंधन के लिए पूंजीगत व्यय के युक्तिकरण पर भी विचार किया जा सकता है। एनपीटीआई वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 करोड़ रुपये के अपने बजट आवंटन का उपयोग करेगा और यदि आवश्यक हो तो, आरई चरण में और अधिक निधियाँ भी प्रदान की जाएंगी।"

20. समिति यह जानकर प्रसन्न है कि विद्युत मंत्रालय के अधीन सभी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की नई भर्तियों के लिए एनपीटीआई में एक अनिवार्य प्रवेश (इंडकशन) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, एनपीटीआई अपने प्रमुख एमबीए (विद्युत प्रबंधन) कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एनपीटीआई की कैपेक्स आवश्यकताएं बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि एनपीटीआई वित्त वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय को युक्तिसंगत बनाकर अपने 50 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का उपयोग करेगा और यदि आवश्यक हो तो आरई स्तर पर अधिक धन भी प्रदान किया जाएगा। इसके बावजूद, समिति चाहती है कि एनपीटीआई में प्रशिक्षण अवसंरचना और देश के विद्युत क्षेत्र के लिए आवश्यक प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी का कारण निधियों की कमी या कम उपयोग नहीं होना चाहिए।

अध्याय दो

टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

सिफारिश (क्रम संख्या 1)

बजटीय आबंटन

समिति ने नोट किया है कि 23,949.99 करोड़ रुपये के अपेक्षित परिव्यय की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विद्युत मंत्रालय के लिए बजटीय आबंटन 16,074.74 करोड़ रुपये किया गया है जो पिछले वर्ष के आबंटन से 4.9% अधिक है। वर्ष 2021-22 के लिए, मंत्रालय ने 30,155.40 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिसके लिए उन्हें केवल 15,322 करोड़ रुपये मिले थे। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के लिए, उनकी 33,366.75 करोड़ रुपये की मांग की तुलना में, केवल 15,874.82 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। इस प्रकार इन सभी वर्षों के दौरान विद्युत मंत्रालय को उनके मांग अनुमानों का केवल आधा या उससे भी कम आबंटित किया गया है। हालांकि, समिति यह जानकर प्रसन्न है कि आबंटित निधियों के उपयोग के संबंध में मंत्रालय का प्रदर्शन अनुकरणीय रहा है क्योंकि वे वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए अपने बजटीय अनुमानों के क्रमशः 100.7%, 103.5% और 96.5% का उपयोग कर चुके हैं। वर्ष 2020-21 में, मंत्रालय कोविड-19 महामारी के कारण आबंटित निधि का केवल 66.7% उपयोग कर सका। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, मंत्रालय ने सूचित किया है कि 15 फरवरी, 2022 तक, उन्होंने बजटीय आबंटन का 72.8% उपयोग किया है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लक्ष्य को पार करने की उम्मीद है। मंत्रालय के कार्य निष्पादन को देखते हुए समिति को इस बात की हैरानी है कि मंत्रालय ने स्वयं ही पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 के लिए कम राशि की मांग की है। समिति उनके वित्तीय प्रदर्शन के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की आशा कर रही थी। इसके अलावा मंत्रालय ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना: सुधार आधारित एवं परिणाम-संबद्ध (आरडीएसएस) नामक एक प्रमुख योजना भी शुरू की है जिसके लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता है।

समिति यह जानती है कि मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण और घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने का एक प्रमुख कार्य पूरा कर लिया गया है। फिर भी, विद्युत क्षेत्र, विशेषकर वितरण क्षेत्र के सामने अनेक चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। समिति का विचार है कि मंत्रालय को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गति को और तेज करके विद्युत क्षेत्र की बेहतरी के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। इसलिए, समिति चाहती है कि विद्युत मंत्रालय को उनके वास्तविक वित्तीय कार्य निष्पादन के साथ-साथ कार्यात्मक आवश्यकताओं के आधार पर स्वयं निधियों की आवश्यकता को कम करने/युक्तिसंगत बनाने के स्थान पर, मंत्रालय को 2022-23 के बजट अनुमान चरण में आबंटित निधि का समयबद्ध तरीके से पूरी तरह से उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अनुपूरक अनुदान मांगों के समय अतिरिक्त मांगें रखी जा सके।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय पिछले तीन वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में बीई/आरई आवंटन के निमित्त निधियों के उपयोग के संबंध में विचार करने के लिए माननीय समिति को हार्दिक धन्यवाद करता है। विद्युत मंत्रालय विद्युत क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में वृद्धि के लिए की गई सिफारिश के लिए माननीय समिति के प्रति पुनः आभार व्यक्त करता है। माननीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों को संशोधित प्राक्कलनों (वर्ष 2022-23) और बजट प्राक्कलनों (वर्ष 2023-24) को अंतिम रूप देने के लिए बजट चर्चा के समय वित्त मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा।

माननीय समिति के सादर सूचनार्थ यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 31.03.2022 को दो योजनाओं नामतः दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) बंद कर दी गई हैं और विद्युत मंत्रालय द्वारा जुलाई 2021 में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से एक नई योजना नामतः संशोधित परिणाम संबद्ध वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की गई थी।

आईपीडीएस स्कीम के लिए, संशोधित प्राक्कलन (वर्ष 2021-22) में 3574.12 रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। तथापि, स्कीम की समापन तिथि अर्थात दिनांक 31.03.2022 और वास्तविक वित्तीय और वास्तविक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने अनुपूरक बजट के तीसरे और अंतिम बैच में 1267.54 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियों के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया। वित्त मंत्रालय ने अतिरिक्त आवंटन के लिए विद्युत मंत्रालय के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। आईपीडीएस स्कीम के लिए 4899.70 करोड़ रुपये के कुल बजटीय आवंटन के निमित्त 4721.48 करोड़ रुपये व्यय किए गए। इसी प्रकार, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के लिए, संशोधित प्राक्कलन (आरई) – वर्ष 2021-22 में आवंटित निधियां 4720 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 4655.23 करोड़ रुपये व्यय किए गए ।

विद्युत मंत्रालय ने नियमित आधार पर योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी/समीक्षा की और आरई (2021-22) में 18416.26 करोड़ रुपये के कुल बजट आवंटन में से 17950.95 करोड़ रुपये का उपयोग करने में सक्षम रहा है, जो बीई का 117.16% (15322 करोड़ रुपये) और आरई का 97.47% (18416.26 करोड़) है। वित्त वर्ष 2022-23 में, कुल बजट आवंटन 16074.74 करोड़ रुपये है और विद्युत मंत्रालय सम्पूर्ण आवंटन का उपयोग करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है, और यदि आवश्यकता महसूस हुई, तो आरई (वर्ष 2022-23) में वित्त मंत्रालय के समक्ष अतिरिक्त मांग रखी जाएगी।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं. एफ सं. 10/1/2022-बजट दिनांक 30.08.2022]

सिफारिश (क्रम संख्या 2)

समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2021-22 के लिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही (15.02.2021 तक) के लिए व्यय क्रमशः बजटीय आबंटन का 11.28%, 18.21%, 24.10% और 19.17% रहा है। इस प्रकार, संचयी व्यय अब तक बजट अनुमान का 72.8% है। मंत्रालय ने इस अनुपूरक मांग के लिए लगभग 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग भी उठाई है। समिति ने देखा है कि इस वर्ष के लिए बजटीय आबंटन का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए, मंत्रालय को चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि यानी डेढ़ महीने के दौरान बजट अनुमान का 27.2% के साथ अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता है। उस परिदृश्य में, चौथी तिमाही में कुल व्यय कुल आबंटन का लगभग 50 % होगा। इस प्रकार समिति का विचार है कि इस तरह का अनियमित तिमाही व्यय निष्पादन अवांछनीय है। मंत्रालय ने इस तरह के एकतरफा खर्च का कारण कोविड-19 को बताया है। समिति को यह पता चला है कि महामारी ने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन को धीमा कर दिया था। फिर भी समिति यह सिफारिश करना चाहती है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान आबंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए मंत्रालय द्वारा गंभीर प्रयास किए जाएं। समिति यह भी चाहती है कि भविष्य में इस संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक तिमाही के दौरान निधियों का समान रूप से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएँ।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय यह कहना चाहता है कि डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस नामक दो प्रमुख योजनाओं, जो वित्त वर्ष 2021-22 के बजट प्राक्कलनों का एक बड़ा हिस्सा वहन करती हैं, पूरी होने वाली थीं और कई डिस्कॉमों और कार्यान्वयन एजेंसियों से बिल प्रतीक्षित थे। यह बीई के निमित्त 72.8% कम व्यय होने का कारण था क्योंकि जो वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में प्राप्त हुए थे, वे बिल लंबित थे। मंत्रालय आगे यह भी सूचित करना चाहता है कि डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के अंतर्गत लंबित दावों को निपटान करने के लिए अनुमानित तीसरे अनुपूरक बजट में निधियों के आवंटन के बाद, मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 18416.26 करोड़ रुपए था और तदनुसार विद्युत मंत्रालय 17950.95 करोड़ रुपये उपयोग करने में सक्षम था जो आरई वर्ष 2021-22 के कुल आवंटन का 97.47%, अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तीसरे अनुपूरक अनुदान के बाद और बीई का 117.16% अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 15322.00 करोड़ रुपये है।

अन्ततः, मंत्रालय इस सिफारिश को नोट करता है कि भविष्य में समान रूप से निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएंगे।

विद्युत मंत्रालय योजना निगरानी समिति की बैठक/वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में नियमित आधार पर निधियों के उपयोग की निगरानी करता रहा है।

माननीय समिति के सादर सूचनारार्थ यह प्रस्तुत किया जाता है कि दो प्रमुख स्कीमों नामतः डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के लिए 8900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जो बीई (वर्ष 2021-22) में आवंटित कुल निधियों (15322 रुपये) का 58% है। ये दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को बंद हो जानी थीं। कोविड-19 के प्रभाव और वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) द्वारा वित्तीय समापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के कारण,

वित्त वर्ष 2021-22 की पहली दो तिमाहियों में व्यय तिमाही लक्ष्यों के अनुसार वांछित स्तर के अनुसार नहीं था। वित्त वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही में बजट उपयोग कुल बजट प्राक्कलन का 25 प्रतिशत था। चूंकि वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही में डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस स्कीमों के संबंध में समापन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, विद्युत मंत्रालय ने फास्ट ट्रैक मोड में सभी प्रस्तावों की जांच की और उन सभी प्रस्तावों के निमित्त निधियाँ जारी कीं, जो उन्हें सही लगे। अन्ततः, विद्युत मंत्रालय अनुपूरक बजट के तीसरे और अंतिम बैच में प्रदान किए गए बजट सहित आरई वर्ष 2021-22 में 18416.16 करोड़ रुपए के कुल बजट आवंटन के निमित्त 17950.50 करोड़ रुपये का उपयोग करने में सक्षम था जो बीई वर्ष 2021-22 का 117.16% (15322 करोड़ रुपये) है।

सिफारिश (क्रम संख्या 3)

<u>दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)</u>

समिति यह जानती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 डीडीयूजीजेवाई योजना के लिए अंतिम वर्ष है, इसलिए वर्ष 2022-23 के लिए योजना के अंतर्गत कोई धन आबंटित नहीं किया गया है। समिति ने नोट किया है कि वर्ष 2021-22 के लिए 3,600 करोड़ रुपये के बजटीय आबंटन की तुलना में 31.01.2022 तक केवल 2,321.71 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है। समिति ने यह भी नोट किया है कि डीडीयूजीजेवाई योजना के 'ग्रामीण विद्युतीकरण' घटक के तहत देश भर के सभी बसे हुए जनगणना गांवों का विद्युतीकरण 28.04.2018 तक कर लिया गया है। समिति ने यह भी नोट किया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के अलावा डीडीयूजीजेवाई के दो अन्य घटक हैं अर्थात् कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण और वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्धन। समिति ने देखा है कि देश में इस योजना के तहत समग्र प्रगति 99% है। यह समिति डीडीयूजीजेवाई योजना के अंतर्गत समयबद्ध तरीके से किए गए व्यापक कार्य की सराहना करती है। उनका मानना है कि इस योजना के तहत किए गए कार्यों से न केवल एक बड़ी आबादी के आर्थिक और सामाजिक उत्थान को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश में बिजली की मांग और प्रति व्यक्ति खपत में भी वृद्धि होगी। यद्यपि राज्यों ने निवेदन किया है कि सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और सभी घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं, समिति चाहती है कि मंत्रालय इस योजना की नोडल एजेंसी के माध्यम से एक लेखा परीक्षा कर यह सुनिश्चित करे कि सभी गांवों/बस्तियों के सभी इच्छुक परिवारों को बिजली कनेशन मिल गया है।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि चालू वित्त वर्ष में ही डीडीयूजीजेवाई योजना के तहत शेष कार्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं।

<u>सरकार का उत्तर</u>

भारत सरकार देश में घरेलू सार्वभौमिक विद्युतीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है । इसके लिए, घरों के विद्युतीकरण की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए सौभाग्य योजना कार्यान्वित की गई थी । संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर नोडल एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकारों/डिस्कॉमों/पीआईए को निधियां जारी की गईं । सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, सभी राज्यों ने 2.62 करोड़ घरों (एचएच) का विद्युतीकरण करने के पश्चात दिनांक 31.03.2019 तक घरों का विद्युतीकरण पूरा करने की पुष्टि की थी। तत्पश्चात, राज्यों के अनुरोध के आधार पर, भारत सरकार ने अन्य ~19 लाख घरों, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में विद्युतीकरण की इच्छा व्यक्त की, के विद्युतीकरण के लिए वित्त पोषण की अनुमति प्रदान की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 2.81 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। राज्यों द्वारा एक बार फिर अनुरोध के आधार पर, फिर से, इन कार्यों को दिनांक 15.03.2022 तक पूरा करने की शर्त के साथ, वर्ष 2021-22 के दौरान डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 11.84 लाख घरों के एक और समूह के विद्युतीकरण के लिए वित्त पोषण की संस्वीकृति दी गई थी। सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, कुल मिलाकर 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

उपरोक्त से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि भारत सरकार देश के सभी घरों को विद्युतीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकारों ने भी इस स्कीम के अंतर्गत सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण कवरेज का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह ज्ञात होता है कि उक्त स्कीमों के अन्तर्गत वर्तमान में कोई भी इच्छुक परिवार गैर-विद्युतीकृत नहीं छोड़ा गया है। भारत सरकार ने समयबद्ध तरीके से इस उद्देश्य को व्यापक रूप से प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य किया है। नए घरों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और उनका विद्युतीकरण करना संबंधित राज्यों और उनकी यूटीलिटियों की जिम्मेदारी है। इसलिए, किसी भी समय, कुछ घर या अन्य कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया में होंगे, जो किसी भी सर्वेक्षण में परिलक्षित होगें। विद्युत मंत्रालय ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है और दिनांक 31.03.2022 से प्रभावी डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य स्कीमों को बंद करने के आलोक में, सभी राज्यों को सूचित किया है कि सरकार सौभाग्य से पहले चिन्हित किए गए सभी इच्छुक घरों को विद्युतीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए वे अपना पक्ष रख सकते हैं और वे आरडीएसएस के अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए इस मंत्रालय को डीपीआर प्रस्तुत कर सकते हैं। इस उपाय ने न केवल इच्छुक परिवार, जो पहले अनिच्छुक थे, लेकिन अब विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के इच्छुक हैं, के मुद्दे को सुलझाया है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि राज्य और उनकी यूटीलिटियाँ निरंतर कनेक्शन प्रदान करने की ज़िम्मेदारी उठाती हैं।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं. एफ सं. 10/1/2022-बजट दिनांक 30.08.2022]

समिति की टिप्पणी
(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय – एक का पैरा सं. 8 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 4)

एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)

समिति ने नोट किया है कि 2014 में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) की शुरुआत डिस्कॉम/विद्युत विभागों के संसाधनों के पूरक के रूप में शहरी क्षेत्रों में उप पारेषण और वितरण नेटवर्क और मीटरिंग में अंतरों की समस्या को दूर करने के लिए पूंजीगत व्यय के निमित्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। समिति ने यह भी पाया है कि इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक देश में एटीएंडसी हानि को 15% तक कम करना है। समिति को यह भी ज्ञात है कि सरकार ने वर्ष 2000-01 की शुरुआत में इसी उद्देश्य के साथ त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) प्रारम्भ किया था। इस योजना को 2008 में पुनर्गठित-त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के रूप में संशोधित किया गया था। समिति ने यह भी नोट किया कि एटीएंडसी घाटे का स्तर जो वर्ष 2015-16 में 23.7% था, 2019-20 में घटकर 20.93% हो गया। हालांकि, यह अभी भी 15% के लक्षित स्तर से अधिक है। विकसित देशों में एटीएंडसी हानियों के निम्न स्तर को ध्यान में रखते समिति का विचार है कि 15% का लक्ष्य भी बहुत कम है। तथ्य यह है कि देश भर में एटीएंडसी घाटे का मौद्रिक मूल्य 1,22,000 करोड़ रुपये है जो समस्या की विकरालता के बारे में बहुत कुछ बताता है। समिति की जांच से पता चला है कि देश के पांच राज्यों में एटीएंडसी हानि 40% से 60% तक है। हालांकि 2015-16 के बाद से कुल हानि में कमी आई है।

आईपीडीएस की वास्तविक प्रगति के संबंध में समिति ने नोट किया है कि स्वीकृत 547 सर्किलों में से, 544 सर्किलों में सिस्टम सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। समिति भी यह समझती है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्युत वितरण राज्य का विषय है, एटीएण्डसी हानि के स्तर को कम करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। चूंकि 2021-22 आईपीडीएस के लिए अंतिम वर्ष है, इसलिए समिति का विचार है कि वितरण प्रणाली पर इस योजना के समग्र प्रभाव का आकलन करने और इस बात के कारणों का पता लगाने के लिए कि केंद्र सरकार के प्रयासों ने एटीएंडसी घाटे को कम करने में वांछित परिणाम क्यों नहीं दिए हैं, एक निष्पक्ष और पारदर्शी अध्ययन की आवश्यकता है ताकि भविष्य में पुन:प्रयास किए जा सकें। इसके अलावा, अधिकांश सर्किलों में, पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (स्काडा) प्रणाली अब स्थापित की जा चुकी है, तो समस्याग्रस्त क्षेत्रों को इंगित करना अब आसान होगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को आंकड़ों/प्रणाली विश्लेषण करना चाहिए और इस तरह के अभ्यास की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करना चाहिए।

सरकार का उत्तर

वित्त वर्ष 2021-22 आईपीडीएस के लिए समापन वर्ष था। तदनुसार, राज्य डिस्कॉमों द्वारा मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, आईपीडीएस स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं के पूर्ण होने की घोषणा की गई है। आईपीडीएस दिशा-निर्देशों के अनुसार, विद्युत मंत्रालय और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) (नोडल एजेंसी) उपयोगिता, ग्राहक और समाज के परिप्रेक्ष्य से आईपीडीएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए

स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसियों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया में हैं। मूल्यांकन मापदंडो में व्यापक रूप से एटीएंडसी हानि, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता, उपभोक्ता सुविधा, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आदि से संबंधित प्रणाली और आंकड़ों का विश्लेषण शामिल होगा। आईपीडीएस के अंतर्गत शामिल की गई आर-एपीडीआरपी घटक के लिए वर्ष 2016-17 और वर्ष 2018-19 में दो प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य, वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक लाना है। आरडीएसएस के अंतर्गत हानि में कमी और आधुनिकीकरण कार्यों के अंतर्गत वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए, किसी भी पात्र डिस्कॉम को अपनी वितरण प्रणाली को मजबूत करने और विभिन्न सुधार उपायों के माध्यम से अपने निष्पादन में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार करना अपेक्षित आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रचालनात्मक दक्षता और वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होता है। आरडीएसएस में सहमत कार्य योजना के अनुसार, सुधार करने के लिए डिस्कॉमों को सशर्त वित्तीय सहायता के अद्वितीय दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। इस स्कीम से निधि प्रवाह हानि में कमी और अन्य ट्रजेक्टरियों का अनुपालन करने के अधीन होगा।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.सं. एफ सं. 10/1/2022-बजट दिनांक 30.08.2022]

समिति की टिप्पणी
(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय – एक का पैरा सं. 11 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 5)

<u>सुधार आधारित एवं परिणाम-संबंध (आरडीएसएस) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना</u>

समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) नामक एक नई योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य प्रचालनात्मक दक्षताओं में सुधार करना और वितरण क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। समिति ने यह भी नोट किया है कि इस योजना का उद्देश्य वित्तीय और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वहनीयता में सुधार करना, 2024-25 तक अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% की एटीएंडसी हानि में कमी करना और 2024-25 तक एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य करना है। समिति यह भी नोट करती है कि इन उद्देश्यों को अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम्स को वित्तीय सहायता के माध्यम से पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

समिति ने यह भी नोट किया कि इस योजना के लिए कुल परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है, जिसमें 97,631 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सम्मिलित है। योजना की अवधि 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल है। केवल स्मार्ट मीटरिंग घटक का हिस्सा 1,50,000 करोड़ रुपये है। वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के लिए 7,565.59 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। समिति ने यह देखा है कि नई योजना के लिए आबंटित राशि दो योजनाओं अर्थात् डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के 2021-22 के लिए 8,900 करोड़ रुपये के कुल बजटीय आबंटन से कम है, जिसे इसमें समाहित किया जाएगा। समिति ने यह भी नोट किया कि व्यय वित्त समिति की योजना के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, इस योजना हेतु 10,000 करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन होना था। समिति इस बेहद जरूरी पहल की सराहना करती है और मानती है कि यह वितरण क्षेत्र को आर्थिक रूप से संधारणीय बनाने के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है। तथापि, समिति इस महत्वपूर्ण योजना के लिए निधियों के कम आबंटन पर भी अपनी चिंता व्यक्त करती है और सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस योजना के लिए बजटीय आबंटन को संशोधित अनुमान चरण पर और अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारतीय स्तर तक कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर को शून्य तक लाना है। स्कीम की अवधि वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष है।

वित्त वर्ष 2021-22 में, विद्युत मंत्रालय ने आरडीएसएस के अंतर्गत लाभार्थी यूटिलिटियों को आगे निधियाँ जारी करने के लिए आरईसी को 277.03 करोड़ रुपए और पीएफसी को 536.975 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आरईसी और पीएफसी दोनों आरडीएसएस स्कीम की कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

वित्त वर्ष 2022-23 में हुई चर्चा के आधार पर, वित्त मंत्रालय ने आरडीएसएस स्कीम के लिए 7,565.59 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में, विद्युत मंत्रालय ने लाभार्थी यूटिलिटियों को आगे निधियाँ जारी करने के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत 948.74 करोड़ रुपए जारी किए हैं। विद्युत मंत्रालय स्कीम की प्रगति और आवंटित निधियों के उपयोग की गहन निगरानी कर रहा है। अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही तक वास्तविक उपयोग के आधार पर, यदि आवश्यक समझा जाए, तो बजट पूर्व बैठकों/चर्चा, जो आम तौर पर प्रत्येक वर्ष अक्टूबर/नवंबर माह में आयोजित की जाती है, में वित्त मंत्रालय के समक्ष रखी जाएगी।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.संख्या फा.सं.10/1/2022-बजट दिनांक 30.08.2022]

समिति की टिप्पणी

(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 14 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 6)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)

समिति यह नोट करती है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) विद्युत अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में सरकार की सहायता करने हेतु एक नोडल केंद्रीय वैधानिक निकाय है। समिति ने यह भी नोट किया है कि निधि उपयोग के संदर्भ में बीईई का पिछला कार्य निष्पादन अत्यंत खराब रहा है। 2020-21 में, बीईई 213 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की तुलना में केवल 61 करोड़ रुपये का उपयोग कर सका। 2021-22 में, उन्होंने केवल 61 करोड़ रुपये का उपयोग किया है जो 197 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान का महज़ 31% है। समिति ने यह भी नोट किया है कि ऊर्जा दक्षता योजनाओं/कार्यक्रमों के कारण 159.24 बिलियन यूनिट की विद्युत ऊर्जा बचत हुई है जिसकी कीमत 95,544 करोड़ रुपये थी और इसके परिणामस्वरूप 130 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई है। इसके अलावा, 28,683 करोड़ रुपये मूल्य के 15.59 मिलियन टन तेल समतुल्य ताप ऊर्जा की बचत हुई और इसके परिणामस्वरूप 58.675 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई। कुल ऊर्जा बचत 29.28 मिलियन टन तेल समतुल्य अर्थात् देश की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का 3.15% थी। ऊर्जा दक्षता योजनाओं से प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए, समिति बीईई द्वारा निधियों के कम उपयोग को स्वीकार नहीं कर सकती है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि बीईई द्वारा आबंटित निधियों का ऊर्जा दक्षता योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएँ।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा संरक्षण/ऊर्जा दक्षता गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं की निगरानी नियमित आधार पर की जा रही है। बीईई द्वारा पूर्ण बजट आवंटन का उपयोग करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 157.82 करोड़ रुपये के संशोधित आवंटन के निमित्त, बीईई ने 155.82 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, बीईई ऐसी गतिविधियाँ भी करता है, जो निधियों पर निर्भर नहीं हैं, लेकिन देश में ऊर्जा संरक्षण में योगदान दे रही हैं।

सिफारिश (क्रम संख्या 7)

राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता के लिए संधारणीय और समग्र दृष्टिकोण का रोडमैप (रोशनी)

समिति नोट करती है कि संवर्धित ऊर्जा दक्षता पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमईईई) को राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता के लिए संधारणीय और समग्र दृष्टिकोण (रोशनी) के रोडमैप में बदल

दिया गया है। रोशनी का एक व्यापक दृष्टिकोण हैं और प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के सभी संभावित उपायों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें नीति में समष्टि स्तर को शामिल किया जाता है और संबंधित योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। समिति को अवगत कराया गया है कि रोशनी सभी गतिविधियों के समेकन और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में परिणामी योगदान में उनकी सहायता करेगा। रोशनी के अंतर्गत शुरू की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों से वर्ष 2030 तक 887 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड की बचत का अनुमान है। रोशनी के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित व्यय 10,370.37 करोड़ रुपये है। ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाने की बाध्यकारी आवश्यकता और ऊर्जा दक्षता से मौद्रिक बचत की विशाल क्षमता को ध्यान में रखते हुए समिति ने सिफारिश की है कि इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रता से कार्यान्वित किया जाएगा ताकि समयबद्ध तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

सरकार का उत्तर

इस मिशन को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अग्रेषित किया गया और दिनांक 1 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 8 वीं बैठक में जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री की कार्यकारी समिति द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है।

रोशनी मिशन (रोडमैप ऑफ सस्टेनेबल एंड हालिस्टिक एप्रोच टू नेशनल एनर्जी एफीशियंसी) का उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के सभी वर्तमान और संभावित क्षेत्रों को शामिल करना है जिससे पेरिस समझौते के तहत भारतीय जलवायु संबंधी कार्रवाईयों में योगदान दिया जा सके। इस नए मिशन में बीईई की सभी मौजूदा गतिविधियों के साथ-साथ नई गतिविधियों की पहचान की गई है और अभी भी कुछ और गतिविधियों की ओर अधिक केंद्रित तरीके से पता लगाया जाना बाकी है। उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे समर्पित ऊर्जा दक्षता के लिए समर्पित पारितंत्र द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आकांक्षी लक्ष्य और वित्त के लिए उद्योग अर्थात बड़े उद्योग से लेकर छोटे तक, कृषि से लेकर नगर पालिकाओं तक, वाणिज्यिक भवनों से लेकर घरों तक की पूरी श्रृंखला को शामिल करने के लिए मांग पक्ष प्रबंधन कार्यक्रमों के कार्य क्षेत्र का विस्तार करना है।

रोशनी मिशन के तहत गतिविधियों को कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से जोड़ा गया है। इस प्रकार, उच्च उत्सर्जन तीव्रता वाले क्षेत्रों पर उचित ध्यान देने के साथ ऊर्जा दक्षता पर विभिन्न पहलों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति (आईएमसी) का गठन किया गया। उच्च उत्सर्जन तीव्रता वाले क्षेत्रों पर उचित ध्यान देने के साथ ऊर्जा दक्षता पर रोडमैप के कार्यान्वयन के लिए अंतर मंत्रिस्तरीय समिति की पहली बैठक दिनांक 14 सितंबर 2021 को और दूसरी बैठक दिनांक 31 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी।

इसके अलावा, भारत के एनडीसी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, रोशनी के तहत गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाना महत्वपूर्ण है। उत्सर्जन तीव्रता में कमी के लिए गतिविधियों को लागू करने के लिए, बीईई द्वारा वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले क्षेत्रों और उनके संबंधित लक्ष्यों की पहचान की गई है। इस संबंध में योगदान देने वाले मुख्य क्षेत्र उद्योग, परिवहन और भवन हैं। वर्ष 2005 के स्तर से 45% हासिल करने के लिए

890 एमटीसीओ2 की अनुमानित उत्सर्जन में कमी करने में, इन तीन क्षेत्रों की हिस्सेदारी 90% से अधिक है।

उच्च उत्सर्जन तीव्रता वाले क्षेत्रों में उचित ध्यान देने के साथ ऊर्जा दक्षता पर विभिन्न पहलों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। इसलिए, विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय की आवश्यकता है ताकि जलवायु प्रतिबद्धताओं के तहत घोषित उद्देश्य को पूरा किया जा सके।

रोशनी के तहत विभिन्न क्षेत्रीय गतिविधियों को शुरू करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2025-26 तक 167.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एनएमईईई को जारी रखने का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा, ईएफसी ने "भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को बढ़ावा देने" की स्कीम को जारी रखने के लिए 600.00 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की सिफारिश की है, इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन ईएफसी सिफारिशों के आधार पर प्राप्त किया जा रहा है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.संख्या फा.सं.10/1/2022-बजट दिनांक 30.08.2022]

सिफारिश (क्रम संख्या 8)

<u>राज्य नामित एजेंसियां (एसडीए)</u>

समिति नोट करती है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम राज्य सरकार को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से अपनी संबंधित राज्य नामित एजेंसियों (एसडीए) के माध्यम से ऊर्जा के कुशल उपयोग को सुविधाजनक बनाने और लागू करने का अधिकार देता है। समिति ने यह भी नोट किया है कि 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अपने संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में एक एसडीए नामित किया है। ये एजेंसियां राज्य-दर-राज्य में भिन्न होती हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी 44%, विद्युत विभाग में 22%, विद्युत निरीक्षक में 17%, वितरण कंपनियां 17% और स्टैंड-अलोन एसडीए 6% हैं। केवल दो राज्यों केरल और आन्ध्र प्रदेश ने स्टैंड-अलोन एसडीए स्थापित किए हैं।

समिति का मानना है कि ऊर्जा दक्षता उपायों को कार्यान्वित करने और अतएव, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों को करने में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है। समिति ने यह भी देखा है कि अतिरिक्त जिम्मेदारियों वाले एसडीए आमतौर पर राज्य में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए समर्पित भौतिक और राजकोषीय संसाधनों से वंचित हैं। इससे राज्यों के भीतर ऊर्जा संरक्षण पहलों की गति और दिशा में कमी आती है। समिति ने पाया कि जिन राज्यों में स्टैंड-अलोन एसडीए मौजूद हैं, वे ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अधिक आक्रामक रूप से कार्य कर रहे हैं और उन राज्यों की तुलना में अधिदेशित कार्यों को करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं, जहां ऐसी नामित एजेंसियां उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, समिति यह भी मानती है कि सभी विनियामक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी प्रवर्तन तंत्र अनिवार्य है। स्टैंड-अलोन एसडीए के सृजन से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी संरचना/मशीनरी के सुचारू और प्रभावी संस्थानीकरण में भी सुविधा होगी। अतः समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह शेष राज्यों को स्टैंड-अलोन एसडीए बनाने के लिए तैयार करे। समिति यह भी अपेक्षा करती है कि मंत्रालय इस संबंध में उन्हें हर संभव सहयोग/सहायता प्रदान करेगा।

सरकार का उत्तर

इससे पहले, बीईई ने स्टैंडअलोन एसडीए की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से लिखित अनुरोध सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर इस मामले को उठाया है। माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 9 फरवरी, 2022 को हुई समीक्षा बैठक में, इस मामले को फिर से उठाया गया और माननीय मंत्री ने अपने संबोधन में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के वरिष्ठ अधिकारियों से फिर से आग्रह किया कि अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में बीईई जैसा संगठन स्थापित करें।

इसके अलावा, निर्देशों के अनुसार, इस मामले को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश और केरल को छोड़कर) के साथ उठाया जाएगा, जिसमें उसे अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टैंडअलोन एसडीए स्थापित करने का अनुरोध किया जाएगा।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.संख्या फा.सं.10/1/2022-बजट दिनांक 30.08.2022]

समिति की टिप्पणी
(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 17 देखें)

सिफारिश (क्रम संख्या 9)

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई)

समिति टिप्पणी करती है कि आबंटित निधि के उपयोग के संबंध में केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) पिछला कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है। 2020-21 में, सीपीआरआई 200 करोड़ रुपये के बीई का केवल 40% उपयोग कर सका। 2021-22 में, सीपीआरआई ने 180 करोड़ रुपये के बीई के मुकाबले केवल 110 करोड़ रुपये का उपयोग किया है। समिति अपने पिछले प्रतिवेदनों में इस उद्देश्य के लिए बजटीय प्रावधानों को बढ़ाकर देश में अनुसंधान और विकास के आधार को बढ़ाने की आवश्यकता और महत्व पर बल देती रही है और मंत्रालय ने 2022-23 के लिए सीपीआरआई के लिए बजटीय अनुमान को उनके पिछले वर्ष के बीई से 68% बढ़ाकर 302.7 करोड़ रुपये कर दिया है। समिति का मत है कि किसी क्षेत्र की उन्नति के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। चूंकि दुनिया भर में तेजी से नवाचार आ रहे हैं, अतः विशेष रूप से विद्युत क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियाँ न केवल यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि राष्ट्र ज्ञान में पीछे नहीं है, अपितु हमारे राष्ट्र को दुनिया भर में प्रौद्योगिकी नवाचारों में अग्रणी भू निभाने का अवसर प्रदान करने के लिए भी आवश्यक है। तथापि, समिति को यह आश्चर्यजनक लगता है कि तकनीकी नवाचार और उन्नयन की बाध्यकारी आवश्यकता के बावजूद विद्युत क्षेत्र का यह प्रमुख अनुसंधान संस्थान आबंटित निधियों का पूर्णत: उपयोग करने में सक्षम नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि विद्युत मंत्रालय को सीपीआरआई और अन्य संबंधित एजेंसियों के परामर्श से बड़े पैमाने पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना चाहिए ताकि हम अपनी विशिष्ट समस्याओं के लिए स्वदेशी समाधान विकसित कर सकें और अपनी बदलती आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। समिति यह भी चाहती है कि उन्नत बैटरी भंडारण प्रणाली,

ग्रीन हाइड्रोजन, कुशल सौर पैनल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), स्मार्ट मीटर, डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा, नैनो-सामग्री आदि जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियों का विकास शीर्ष प्राथमिकता सूची में होना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो इन क्षेत्रों में उन्नत देशों के साथ सहयोग भी होना चाहिए। समिति आशा करती है कि अपने आधार और गतिविधियों में वृद्धि के साथ, सीपीआरआई आवंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम होगा।

<u>सरकार का उत्तर</u>

किसी वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवश्यकता की गणना वार्षिक कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए की जाती है जिसमें खरीद भी शामिल है जिसे वर्ष के दौरान पूरा किया जा सकता है जैसे प्रचलित निविदाएं जारी की जाने वाली निविदाएं, एल सी स्थापित किया जाना है, उपकरण के लिए शेष भुगतान जो सफलतापूर्वक स्थापित एवं शुरू किए गए तथा उपकरणों की आपूर्ति।संबंधित वित्तीय वर्ष में निधियों का उपयोग करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जाते हैं। तथापि, नीचे बताए गए कारणों के कारण, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित निधियों का, पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका।

क. परियोजनाओं के लिए पहचाने गए उपकरण वैज्ञानिक प्रकृति के थे। ये उपकरण पारंपरिक रूप से निर्मित और विशिष्ट प्रकृति के हैं और इसलिए दुनिया भर में केवल कुछ निर्माता ही उपलब्ध हैं। व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार विद्युत मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन लेने के बाद और केवल घरेलू निविदा प्रक्रिया को पूरा करने के बाद ही वैश्विक निविदा जारी की जा सकती है।

ख. निविदा के बाद की गतिविधियों में शामिल कार्यों की मात्रा बहुत अधिक है क्योंकि कई महत्वपूर्ण तकनीकी मापदंड हैं, जिनका अनुपालन के लिए मूल्यांकन किया जाना है।

ग. इस परियोजना के लिए सिविल कार्यों हेतु पहचाने गए उपकरणों को रखने के लिए विशेष बुनियाद तथा संरचनाओं की आवश्यकता होती है। उपकरणों की आपूर्ति, संस्थापना एवं आरंभन के लिए सिविल कार्यों की पूर्ति के साथ सामंजस्य के लिए उपकरणों की निविदा प्रक्रिया की आयोजना बनाई जानी चाहिए।

तथापि, उपरोक्त सभी पर ध्यान देते हुए, सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 120.00 करोड़ रुपये की पूरी आवंटित राशि खर्च की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, 213.40 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "मौजूदा परीक्षण सुविधाओं का संवर्धन और सीपीआरआई के विभिन्न केंद्रों पर नई परीक्षण सुविधाओं की स्थापना" शीर्षक वाली नई परियोजना पर किए गए खर्च को पूरा करने और चल रही अन्य पूंजीगत परियोजनाओं तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत गतिविधियों के लिए 302.77 करोड़ रुपये बजट का अनुमान है ।

सीपीआरआई को आवंटित निधियों का 100% उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, परियोजना गतिविधियों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने और उनकी गहन निगरानी के लिए लक्ष्य तैयार किए गए हैं।

मौजूदा परीक्षण सुविधाओं के संवर्धन, नई परीक्षण सुविधाओं की स्थापना, साइबर सुरक्षा और आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आदि जैसी नवीनतम तकनीकों को शामिल करते

हुए अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए रोड मैप तैयार किया गया था।

"सीपीआरआई के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही एमओपी की अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) स्कीम" के तहत, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा भंडारण, कुशल सौर पैनल, डेटा एनालिटिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, नैनो-सामग्री के क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया गया है ताकि विद्युत क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अवधारणाओं-के-साक्ष्य प्राप्त हों जैसे:

- साइबर हमलों का वास्तविक समय का पता लगाना और उनका शमन करना
- साइबर खतरों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग
- माइक्रो-ग्रिडों के लिए सुपर-कैपेसिटर आधारित ऊर्जा भंडारण
- फास्ट चार्जिंग लिथियम आयन बैटरी के लिए उच्च ऊर्जा घनत्व समिश्रित सामग्री
- फोटोवोल्टिक मॉड्यूलों के लिए उच्च यूवी परिरक्षण गुणों के साथ न्यू जेनरेशन एथिलीन विनील एसीटेट (ईवीए) नैनो-सम्मिश्र
- सौर सेलों की दक्षता, फ्लेम रेटार्डेंट केबल, कैपेसिटर का विकास में वृद्धि करने के लिए नैनो-सम्मिश्र
- भारतीय परिदृश्य में सिंक्रोफेजर डेटा एनालिटिक्स के आधार पर पावर सिस्टम एम्बिएंट, ट्रांजिएंट और फोर्स्ड ओसिलेशन्स का पता लगाना
- इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नवीन इलेक्ट्रो उत्प्रेरक का विकास

सीपीआरआई ने पावर सिस्टम क्षेत्र में दुनिया भर के प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं के साथ संवाद करने तथा नेटवर्क बनाने और नई प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान संबंधी तालमेल बनाने के लिए आईआईएससी, बैंगलोर में अध्यक्ष पद की स्थापना भी की है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा.संख्या फा.सं.10/1/2022-बजट दिनांक 30.08.2022]

सिफारिश (क्रम सं. 10)

<u>राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई)</u>

समिति ने पाया कि एनपीटीआई, जो की देश में विद्युत क्षेत्र की प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है, का निधियों को उपयोग करने के संबंध में पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है। वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 (15.02.2022 तक) के लिए एनपीटीआई द्वारा निधियों का वास्तविक उपयोग बजटीय अनुमान का क्रमशः 41.8%, 22.4% और 12% रहा है। निधियों के कम उपयोग के कारणों के संबंध में मंत्रालय ने कहा है कि एनपीटीआई की कैपेक्स आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं हैं। उन्होंने कई नए केंद्र बनाए हैं, लेकिन उनकी राजस्व आय कुछ तो कोविड के कारण और कुछ एआईसीटीई की मान्यता के बिना उसके द्वारा चलाए जा रहे उपाधि-पाठ्यक्रमों को बंद करने के दीर्घकालिक प्रभाव के कारण कम हुई है। केन्द्रीय सरकारी उद्यमों की मांग में कमी आई है क्योंकि उन्होंने अपने स्वयं के प्रशिक्षण

संस्थान खोल लिए हैं। इसी तरह, पोसोको लोड डिस्पैच केंद्रों का प्रशिक्षण भी आयोजित करेगा। समिति ने यह भी नोट किया है कि वर्ष 2022-23 के लिए केवल 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो एनपीटीआई के लिए पिछले वर्ष के 70 करोड़ रुपये के बीई की तुलना में 29% कम है।

समिति टिप्पणी करती है कि विशेष रूप से साइबर सुरक्षा और स्मार्ट वितरण क्षेत्र के क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की कमी है। समिति यह भी नोट करती है कि राष्ट्रीय विद्युत योजना (2017-22) के अनुसार 2017-22 में 1,76,140 मेगावाट की क्षमता वृद्धि के लिए, 2,53,760 से अधिक अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता होगी, जिनमें से 1,94,910 तकनीकी और 58,580 गैर तकनीकी होंगे। समिति का मानना है कि आगामी राष्ट्रीय विद्युत योजना (2022-27) के तहत किए गए नवीनतम आकलन में यह संख्या बहुत अधिक होगी। समिति टिप्पणी करती है कि हाल के वर्षों में देश में प्रशिक्षण संस्थानों में कई गुना वृद्धि हुई है। फिर भी समिति का मानना है कि एनपीटीआई के विस्तार के लिए अभी भी बहुत संभावनाएं हैं क्योंकि इसके पास अपने क्षेत्र में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। तथापि, समिति यह महसूस करती है कि वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक बने रहने के लिए एनपीटीआई को स्वयं को बेहतर बनाना होगा और देश के विद्युत क्षेत्र, जो प्रौद्योगिकी एकीकरण और ऊर्जा संक्रमण पथ के साथ गतिशील रूप से बदल रहा है, की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रशिक्षण अवसंरचना को बढ़ाना होगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि एनपीटीआई को तेजी से बदलती आवश्यकताओं को जानने के लिए विद्युत उद्योग से नियमित रूप से फीडबैक प्राप्त करना चाहिए। चूंकि एनपीटीआई इस क्षेत्र का एक प्रमुख संस्थान है, इसलिए समिति यह महसूस करती है कि एनपीटीआई को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों के निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों और संगठनों के साथ भी समन्वय करना चाहिए। समिति यह भी आशा करती है कि एनपीटीआई द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयास किए जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो आरई चरण में अधिक धन की मांग की जाए।

सरकार का उत्तर

एनपीटीआई मुख्य रूप से वितरण और पारेषण क्षेत्र के अलावा ताप और जलविद्युत क्षेत्र की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने में कार्यरत है। अब विद्युत क्षेत्र का ध्यान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा/ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के क्षेत्र पर है। हाल के वर्षों में प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या भी कई गुना बढ़ी है। एनपीटीआई को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कई प्रशिक्षण संस्थानों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप नए प्रशिक्षुओं को प्राप्त करने में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण संस्थानों में वास्तविक/ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान करना भी मुश्किल हो गया है। परिणामस्वरूप, पारंपरिक क्षेत्र में प्रशिक्षण की मांग में कमी आई है।

तथापि, एनपीटीआई के प्रत्येक संस्थान में एक सलाहकार निकाय का गठन किया गया है जिसमें संग्रहण क्षेत्र के हितधारक शामिल हैं और प्रत्येक संस्थान सलाहकार निकाय के परामर्श से अपना प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कर रहा है।

स्मार्ट ग्रिड और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में डिस्कॉमों के कर्मचारियों को बहुत अधिक कौशल निर्माण की आवश्यकता है। एनपीटीआई अब वितरण युटीलिटियों के क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। विद्युत मंत्रालय, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम द्वारा एनपीटीआई प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का वित्तपोषण कर रहा है। दो अन्य क्षेत्र हैं जिनमें एनपीटीआई द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ऊर्जा संरक्षण स्कीमों के लिए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) एनपीटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को प्रायोजित करता है। इसी तरह, पोसोको एनपीटीआई के माध्यम से लोड डिस्पैच केंद्रों के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों को प्रायोजित करता है।

एनपीटीआई को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं प्रमाणन और लोड डिस्पैच कार्मिकों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन के लिए भी अधिदेशित किया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि विद्युत मंत्रालय के तहत सभी सीपीएसईयों में नई भर्ती के लिए एनपीटीआई में एक अनिवार्य आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एनपीटीआई अपने प्रमुख एमबीए (पावर मैनेजमेंट) कार्यक्रम को भी शुरू करने की योजना बना रहा है।

एनपीटीआई की कैपेक्स आवश्यकताएं बहुत अधिक नहीं हैं। एनपीटीआई ने कई नए केंद्र बनाए हैं, लेकिन उनके राजस्व अर्जन में कमी आई है। विद्युत मंत्रालय अगले 2 वर्षों के भीतर अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पेंशन निधि को सममूल्य पर लाने के लिए अतिरिक्त राशि देने से संबन्धित एनपीटीआई के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भावी पेंशन देयताएँ प्रबंधनीय हैं और सरकार को प्रतिवर्ष महत्वपूर्ण राशि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। समग्र बजट के भीतर व्यय के प्रबंधन के लिए पूंजीगत व्यय के युक्तिकरण पर भी विचार किया जा सकता है। एनपीटीआई वित्तीय वर्ष 2022-23 में 50 करोड़ रुपये के अपने बजट आवंटन का उपयोग करेगा और यदि आवश्यक हो तो, आरई चरण में और अधिक निधियाँ भी प्रदान की जाएंगी।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एफ. सं. 10/1/2022-बजट, दिनांक:30.08.2022]

समिति की टिप्पणी
(कृपया प्रतिवेदन के अध्याय-एक का पैरा संख्या 20 देखें)

सिफारिश (क्रम सं. 11)

<u>विद्युत प्रणाली का सुदृढीकरण</u>

समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक योजना हेतु 1,700 करोड़ रुपये का बजटीय अनुमान लगाया गया है जो पिछले वर्ष के अनुमान से 2873% अधिक है। समिति यह भी नोट करती है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए योजना के लिए अनुमानित 600 करोड़ रुपये के फंड का पूरी तरह से उपयोग किया गया है। समिति टिप्पणी करती है कि इस योजना का उद्देश्य अरुणाचल और सिक्किम में अंतर-राज्यीय पारेषण और वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ करना तथा आगामी लोड केंद्रों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार करना और उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों को ग्रिड से जुड़ी बिजली का लाभ प्रदान करने के लिए विश्वसनीय राज्य पावर ग्रिड का निर्माण करना है। इसलिए, समिति ऐसी महत्वपूर्ण परियोजना

में तेजी लाने के लिए निधि आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए सरकार की सराहना करती है। समिति की यह भी इच्छा हैं कि चालू वित्त वर्ष के दौरान बढ़े हुए बजटीय प्रावधान का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए।

सरकार का उत्तर

विद्युत मंत्रालय अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में पारेषण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए व्यापक स्कीम और पूर्वोत्तर क्षेत्र विद्युत प्रणाली सुधार कार्यक्रम (एनईआरपीएसआईपी) (अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर) दोनों स्कीमों के कार्यान्वयन की गहन निगरानी कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में, 300 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं। इन दो स्कीमों (एनईआरपीएसआईपी के लिए 644 करोड़ रुपये और व्यापक स्कीमों के लिए 1700 करोड़ रुपये) में पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए आवंटित 2344 करोड़ रुपये की निधियों का पूरी तरह से उपयोग करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एफ. सं. 10/1/2022-बजट, दिनांक:30.08.2022]

सिफारिश (क्रम सं. 12)

राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन

समिति नोट करती है कि सरकार ने भारत में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना और निगरानी करने के लिए 2015 में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) की स्थापना की थी। एनएसजीएम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्मार्ट मीटरों और उन्नत मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) की तैनाती, 1 मेगावाट तक मध्यम आकार के माइक्रो ग्रिडों का विकास, वितरण ट्रांसफार्मरों की वास्तविक समय पर निगरानी और नियंत्रण आदि स्मार्ट ग्रिड तैनाती से संबंधित कार्यों के दायरे में आते हैं। समिति का मानना है कि स्मार्ट मीटरों की शुरुआत वितरण क्षेत्र में एक आमूलचूल बदलाव को दर्शाती है जिसमें न केवल डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की क्षमता है, बल्कि अंतिम उपभोक्ताओं को परेशानी मुक्त तरीके से अपनी बिजली की खपत को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाने की भी क्षमता है। हालांकि, समिति चिंता के साथ नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के लिए स्मार्ट ग्रिड के लिए 40 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, हालांकि, वास्तविक उपयोग केवल 16.1 करोड़ रुपये था और उपयोग में कमी वर्ष 2021-22 में भी जारी है, क्योंकि 40 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान के मुकाबले केवल 2.2 करोड़ रुपये (15.02.2022 तक) खर्च किए जा सके हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत 35.73 करोड़ रुपये का प्रावधान है। अतः, समिति बजट आबंटन के इस प्रकार कम उपयोग को अनुमोदित नहीं करती है और यह इच्छा व्यक्त करती है कि देश में स्मार्ट मीटरों की विनिर्माण क्षमता में तेजी से वृद्धि करने के लिए इस महत्वपूर्ण शीर्ष के अंतर्गत निधियों

का पूर्ण उपयोग किया जाए ताकि देश में बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटरों की स्थापना के लिए उनकी बढ़ती मांग की पूर्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को सीपीआरआई जैसे स्वतंत्र संस्थानों द्वारा उनकी अनिवार्य गुणवत्ता जांच के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सरकार को जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर विचार करना चाहिए ताकि अंतिम उपभोक्ताओं के मन में स्मार्ट मीटर के कार्यकरण से संबंधित किसी भी संदेह को दूर किया जा सके।

सरकार का उत्तर

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए स्मार्ट ग्रिड हेतु संशोधित अनुमान (आरई) 20 करोड़ था, जिसमें से 16.1 करोड़ रुपये (80.4%) का उपयोग किया गया था। वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान के अनुसार 28.4 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें से 2.24 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। कार्यान्वयन एजेंसियों से पात्र दावों की गैर-प्राप्ति और कोविड 19 प्रतिबंधों के कारण निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सका। मार्च, 2021 के बाद एनएसजीएम को जारी रखने के प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी) द्वारा विचार किया गया है और 45.42 करोड़ रुपये के जीबीएस सहित 136.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर मार्च, 2024 तक एनएसजीएम को जारी रखने की सिफारिश की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, चालू स्वीकृत स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं के साथ-साथ स्थापना तथा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध देयताओं के लिए 35.73 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। एनएसजीएम के तहत निधि का उपयोग परियोजना कार्यान्वयन युटीलिटियों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ा हुआ है।

यह बताया जाता है कि एनएसजीएम की स्थापना भारत में स्मार्ट ग्रिड से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की योजना और निगरानी के लिए की गई थी और यह स्मार्ट मीटर के निर्माण में शामिल नहीं है। तथापि, एनएसजीएम ने बीआईएस के माध्यम से स्मार्ट मीटर मानक नामतः आईएस 16444 और इसके सहयोगी मानकों के विकास में बहुत योगदान दिया है। वर्तमान में, स्मार्ट मीटरों का परीक्षण बीआईएस प्रमाणित प्रयोगशालाओं नामतः सीपीआरआई, बेंगलुरु, सीपीआरआई, भोपाल, ईआरडीए, वडोदरा, वाईएमपीएल, उदयपुर में किया जा रहा है। इसके अलावा, एनपीएमयू ने मानक परीक्षण प्रोटोकॉल को अपनाने और परीक्षण परिणामों की व्याख्या द्वारा परीक्षण और प्रमाणन के लिए समग्र समय को कम करने के लिए बीआईएस और परीक्षण प्रयोगशालाओं के साथ चर्चा की है।

इसके अलावा, एनपीएमयू ने संचार के संबंध में स्मार्ट मीटरों के बीच अंतरसंक्रियता लाने के लिए सामान्य प्लग करने योग्य संचार मॉड्यूल के लिए आवश्यक वस्तुओं को विकसित किया है। इसके आवश्यक समावेशन हेतु विशेषज्ञों के बीच और अधिक विचार-विमर्श के लिए बीआईएस एलआईटीडी 10 को प्रस्तुत किया गया है। एनएसजीएम विभिन्न स्कीमों और राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाने की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है और मार्च, 2022 तक की स्थिति के अनुसार, 41 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और लगभग 70 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। युटीलिटियां उपभोक्ता शिक्षण और संलिप्तता के साथ-साथ स्मार्ट मीटर लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

एनएसजीएम ने एएमआई सेवा प्रदाता की नियुक्ति के लिए मानक बोली दस्तावेज भी विकसित किए हैं जो स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करेंगे। एसबीडी ने प्रासंगिक हितधारकों के विचारों को एकीकृत किया है और अब यह संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) में उपयोग हेतु उपलब्ध है। एनएसजीएम ने प्रासंगिक हितधारकों के साथ भी कार्य किया है और उपभोक्ता संलिप्तता (तथ्यपत्र, कार्यविधि, आउटरीच योजना, ब्रोशर, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न आदि) पर दस्तावेज़ बनाए हैं जिन्हें आरईसी के साथ साझा किया गया है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों के भाग के रूप में, एनएसजीएम ने समर्पित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 300 युटीलिटी पेशेवरों को प्रशिक्षित किया था। इसके अलावा, एनएसजीएम ने आरडीएसएस प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए गठित समिति में एक विशेषज्ञ सदस्य को नामित किया है।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एफ. सं. 10/1/2022-बजट, दिनांक:30.08.2022]

सिफारिश (क्रम सं. 13)

<u>बाढ़ नियंत्रण भंडारण जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता</u>

समिति ने नोट किया कि विद्युत मंत्रालय ने 'बाढ़ नियंत्रण भंडार जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता' शीर्षक के तहत 80 करोड़ रुपये की आवश्यकता प्रस्तुत की थी। तथापि, समिति जल विद्युत के संवर्धन के लिए इस तरह के एक महत्वपूर्ण साधन के लिए अंतिम बीई 2022-23 की अधिकतम सीमा के अनुरूप 'शून्य' आवंटन से निराश है। समिति लंबे समय से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पनबिजली परियोजनाओं हेतु इस तरह के वित्तीय प्रोत्साहन और सहायता देने की समर्थक रही है और इसलिए समिति विद्युत मंत्रालय से इस मामले को उपयुक्त स्तर पर उठाने और अनुपूरक मांगों के स्तर पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आबंटन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की पुरजोर सिफारिश करती है।

<u>सरकार का उत्तर</u>

भारत सरकार के दिनांक 08.03.2019 के का.ज्ञा. द्वारा देश में जलविद्युत को बढ़ावा देने के उपायों को परिचालित किया, जिसमें 'बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता' शामिल है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय द्वारा 28.09.2021 को बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता के संचालनीकरण के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी केंद्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र की भंडारण जलविद्युत परियोजना (25 मेगावाट क्षमता से अधिक) में स्पष्ट बाढ़ नियंत्रण घटक है, जिसे या तो सीईए या राज्य सरकार द्वारा सहमति दी गई है और जिसमें किसी भी प्रमुख कार्य के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किया गया है या प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर जारी

किया जा रहा है, उपाय की अधिसूचना की तारीख (अर्थात 08.03.2019) के बाद वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह बजटीय सहायता उन सभी पात्र परियोजनाओं पर लागू होती है जिनका निर्माण दिनांक 31 मार्च, 2030 तक किया जाएगा।

तथापि, विद्युत मंत्रालय को अभी तक बाढ़ नियंत्रण/भंडारण जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता हेतु कोई पात्र प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

तदनुसार, इस स्कीम के तहत बजटीय सहायता के लिए बजट अनुमान (2022-23) में 0.01 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया। यदि, विद्युत मंत्रालय को कोई पात्र प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो आरई स्तर पर पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया जाएगा।

इसके अलावा, जलविद्युत परियोजनाएं दीर्घावधि की होती हैं और केवल दिबांग बहुउद्देश्यीय जल विद्युत परियोजना जैसी बाढ़ नियंत्रण घटक वाली ही क्रमिक रूप से अनुदान हेतु पात्र होंगे।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एफ. सं. 10/1/2022-बजट, दिनांक:30.08.2022]

सिफारिश (क्रम सं. 14)

<u>आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विनिर्माण क्षेत्र</u>

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि वर्ष 2022-23 के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह एक ऐसी योजना है जिसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है, जिसमें विद्युत मंत्रालय के बजट में बजटीय प्रावधान हैं। समिति यह भी नोट करती है कि सरकार नवीकरणीय ऊर्जा और पारेषण और वितरण से संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए इस क्षेत्र का उपयोग करने का इरादा रखती है। समिति सरकार की इस पहल की सराहना करती है और मानती है कि इससे विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण उपकरणों के आयात पर निर्भरता को कम करने में काफी सहायता मिलेगी। समिति मंत्रालय को आबंटित निधियों का पूर्ण उपयोग करने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की सिफारिश करती है ताकि प्रस्तावित विनिर्माण क्षेत्रों को समय पर पूरा किया जा सके।

<u>सरकार का उत्तर</u>

विद्युत मंत्रालय ने स्कीम को लागू करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को जारी की गई है जिसे विद्युत मंत्रालय तथा एमएनआरई की वेबसाइटों पर उपलब्ध कराया गया है। दिनांक 27.04.2022 को बोली-पूर्व सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। समय सारिणी इस प्रकार है:-

क्रम सं.	आयोजन	तिथि और समय
1.	प्रस्तावकों को अधिसूचना	बुधवार, 13 अप्रैल, 2022
2.	पूर्व-ईओआई मीटिंग	बुधवार, 27 अप्रैल, 2022 पूर्वाह्न 11:00 बजे
3.	प्रस्तावकों द्वारा अपेक्षित प्रश्न या सूचना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	बुधवार, 4 मई, 2022 अपराह्न 04:00 बजे
4.	स्पष्टीकरण, परिशिष्ट या संशोधित ईओआई जारी करना	सोमवार, 30 मई, 2022 अपराह्न 04:00 बजे
5.	प्रस्ताव देय तिथि	सोमवार, 11 जुलाई, 2022 अपराह्न 04:00 बजे

• 8 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना) से प्रस्ताव दिनांक 11.7.2022 को अर्थात प्रस्ताव की नियत तारीख तक प्राप्त हो गए थे।

• पीएमए द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। पीएमए की बैठकें दिनांक 04.08.2022 और दिनांक 10.08.2022 को आयोजित की गई हैं।

2. स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा दी गई सिफ़ारिशों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अनुसार, पांच वर्ष की अवधि में स्कीम के लिए, 400 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय का वर्षवार विभाजन निम्नानुसार है:

घटक	**प्रथम वर्ष**	**द्वितीय वर्ष**	**तृतीय वर्ष**	**चतुर्थ वर्ष**	**पांचवा वर्ष**
सीआईएफ़ +सीटीएफ़ (करोड़ रुपये में)	40	100	100	100	60

सीआईएफ़ - सामान्य अवसंरचना सुविधाएं
सीटीएफ़ - सामान्य परीक्षण सुविधाएं

3. बजट अनुमान (2022-23) में कुल बजट आवंटन 100 करोड़ रुपये है। विद्युत मंत्रालय द्वारा स्कीम को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लागू करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और विद्युत मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 100 करोड़ रुपये के आवंटन का उपयोग करने में सक्षम होगा।

[विद्युत मंत्रालय, का.ज्ञा. सं. एफ. सं. 10/1/2022-बजट, दिनांक:30.08.2022]

अध्याय तीन

टिप्पणियाँ/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है

-शून्य-

अध्याय चार

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

-शून्य-

अध्याय पांच

टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

-शून्य-

नई दिल्ली;
दिसम्बर, 2022
अग्रहायण, 1944 (शक)

जगदंबिका पाल
सभापति,
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

परिशिष्ट – एक

बैठक का कारवाही सारांश

परिशिष्ट दो

(*देखिए* प्रतिवेदन का प्राक्कथन)

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का विश्लेषण

(i)	सिफारिशों की कुल संख्या	14
(ii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है : क्रम सं. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 और 14	
	कुल:	14
	प्रतिशत:	100%
(iii)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तरों को देखते हुए समिति आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है: -शून्य-	
	कुल:	00
	प्रतिशत:	00%
(iv)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के उत्तर समिति द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है -शून्य-	
	कुल:	00
	प्रतिशत:	00%
(v)	टिप्पणियां/सिफारिशें जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं: -शून्य-	
	कुल:	00
	प्रतिशत:	00%